जनपद - संतकबीरनगर　　　　　　　　प्रेस विज्ञप्ति　　　　　　　　दिनाँक 26.03.2025

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* वारण्टी नाम पता गगन यादव पुत्र सुरेल निवासी गागरगाड़ थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री सचिन्द्र नाथ राय, उ0नि0 श्री जयप्रकाश कुशवाहा, हे0का0 सोनू पटेल, हे0का0 बदरे आलम।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 16 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 09 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6003 द्वारा मारपीट में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी **6003** को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत मझगांवा से कालर द्वारा मारपीट विवाद में घायल 01 व्यक्ति (1. अमित यादव पुत्र बृजभान यादव ग्राम मझंगावा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया,सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध मे थाना महुली को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर घायल को ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

***पीआरवी स्टाफ-* मु0आ0 बंजेश यादव, का0 बब्लू कुमार यादव, हो०चा0 रविन्द्र यादव।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 84 वाहनों से 73,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 26.03.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 84 वाहनों से 73,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए छीना छपटी के मामले में अभियुक्त को 01 अदद देशी तमंचा .12 बोर के साथ किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा ***श्री रामकृष्ण मिश्र*** के नेतृत्व में थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0स0 481/2024 धारा 304(1)/317(2) भा0न्या0सं0 थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के मामले में अभियुक्त पिण्टू यादव पुत्र नन्दलाल यादव निवासी सूकरचक थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को नरायनपुर से मकदूमपुर जाने वाले चकरोड़ पर पुलिया के पास से 01 अदद अवैध देशी तमंचा .12 बोर व छिनैती के 01अदद आधार कार्ड के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

01-मु0अ0सं0 481/2024 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर।

02-मु0अ0सं0 131/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर।

*बरामदगी-*अदद अवैध देशी तमंचा .12 बोर।

02-छीना गया 01 अदद आधार कार्ड(अशोक कुमार यादव पुत्र गोरखनाथ यादव निवासी शहबाजगंज वार्ड नं0 01 सहजनवा जनपद गोरखपुर)।

पूछताछ विवरण- बरामद आधार कार्ड के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि पिछले वर्ष रामजंगला गाँव के पास एक व्यक्ति से छीने गए सामानों में मिले पर्स में आधार कार्ड मिला था जिसे अभियुक्त द्वारा अपने पास रख लिया गया था

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रामवशिष्ठ, उ0नि0 श्री अनिल कुमार, हे0का0 आनन्द कुमार दूबे, हे0का0 राणा प्रताप दूबे, हे0का0 मोहन कुमार।

थाना दुधारा द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी के 01 लाख 50 हजार रु0 व चोरी में प्रयुक्त 01 अदद रॉड के साथ वाँछित 02 अभियुक्त व 01 नफर बाल अपचारी को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान जनपद में चोरी जैसी घटनाओं के सफल अनावरण हेतु थानाध्यक्ष दुधारा ***श्री इन्द्रभूषण सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 85/2025 धारा 331(4)/305(ए)/324(2) बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्त क्रमशः 01. जीशान अहमद पुत्र भुट्टू 02.मो0 अरमान पुत्र मो0 इसराइल निवासीगण बढ़यामाफी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगरनगर व 01 नफर बाल अपचारी को चोरी के 01 लाख 50 हजार रु0 नकद व चोरी में प्रयुक्त 01 अदद लोहे की रॉड के साथ बढ़यामाफी स्थित नूर मोटर गैरेज के पीछे से गिरफ्तार कर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) भादवि की बढ़ोत्तरी करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***वादी प्रधानाचार्य नूर करीम मेमोरियल पब्लिक स्कूल, बढ़या माफी थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर श्री धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री चन्द्रशेखर लाला निवासी राउतपारा पोस्ट कोहरियांवा जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा दिनांक 25.03.2025 को थाना दुधारा पर सूचना दिया गया कि 23/24.03.205 की रात्रि में अज्ञात व्यक्ति द्वारा स्कूल के आफिस का ताला तोड़कर अलमारी में रखे 1,51,380 रु0 चोरी कर लिया गया है । उक्त तहरीर के आधार पर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 85/2025 धारा 331(4)/305(ए)/324(2) बीएनएस अभियोग पंजीकृत कराया गया था* ।**

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

01. जीशान अहमद पुत्र भुट्टू निवासी बढ़यामाफी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगरनगर।
02.मो0 अरमान पुत्र मो0 इसराइल निवासी बढ़यामाफी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगरनगर।
03. 01 नफर बाल अपचारी **।**

बरामदगी का विवरण – चोरी के 01 लाख 50 हजार रु0 नकद व चोरी में प्रयुक्त 01 अदद लोहे की रॉड।

पूछताछ विवरण-उक्त अभियुक्तगणों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि तीनों लोगों को पैसे की काफी आवश्यकता थी, जीशान अहमद ने बताया कि गाँव के नूर करीम मेमोरियल पब्लिक स्कूल में आता जाता हू, स्कूल की फीस मास्टर साहब द्वारा स्कूल की एक अलमारी में रखा जाता है। उसके बाद प्लानिंग करके दिनांक 23/24.03.2025 की रात्रि में स्कूल की बाउण्ड्री फांदकर जीशान व बाल अपचारी अंदर चले गए। मो0 अरमान बाउण्ड्रीवाल के पास खड़े होकर आने जाने वालों की देख रेख करने लगा। जीशान अहमद व 01 नफर बाल अपचारी द्वारा मिलकर स्कूल के आफिस का ताला तोड़ने का प्रयास किए परन्तु ताला नही टूटा तभी पास में रखी लोहे की सरिया से स्कूल के आफिस का ताला तोड़कर अन्दर घुसे तो पता चला कि कैमरा लगा हुआ है जिसे उक्त दोनों द्वारा कैमरा तोड़ दिया गया। उसके बाद आफिस में रखे अलमारी को लोहे की सरिया से खोलकर अलमारी में रखे 1,51,380 रु0 चोरी कर लिए। जिसमें से 1380 रु0 तीनों लोगो द्वारा खाने पीने में खर्च कर दिया गया। शेष बचे रुपये तीनों ने 50-50 हजार बाँट लिए। **उक्त प्रकरण संबन्ध में आज दिनांक 26.03.2025 को पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।**

गिरफ्तारी टीम- उ0नि श्री रामसूरत प्रसाद, हे0का0 अरविन्द यादव,का0 सुमित राय, का0 सोनू यादव, का0 भीम कुमार।